प्रदेश से बाहर अध्ययनरत उत्तर प्रदेश के मूल निवासी छात्र/छात्राओं हेतु दिशा–निर्देश

1– अन्य प्रदेशों में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में अध्ययनरत छात्रों को ही वर्ष 2017–18 से यह सुविधा उपलब्ध होगी।

2– प्रदेश के बाहर स्थित शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड प्राप्त करने हेतु निर्धारित प्रारूप पर आवेदन पत्र की हार्ड कापी समस्त अभिलेखों के साथ रजिस्टर्ड/स्पीड पोस्ट से तथा आवेदन पत्र को स्कैन कर ई–मेल–**dd.dir3.sw@dirsamajkalyan.in** पर 21 अगस्त 2017 तक उपलब्ध करानी होगी।

3– प्रदेश से बाहर अध्ययनरत उन्ही संस्थाओं के छात्र आवेदन कर सकेगें जो संस्थायें मास्टर डाटा में निर्धारित प्रकिया एवं समयावधि के अनुसार सम्मिलित हैं।

4– कई वर्ष की अवधि वाले पाठ्यकमों में यदि छात्र किसी भी वर्ष में पहली बार आनलाइन आवेदन फार्म भर रहा है तो उसे नये छात्र के रूप में नया आवेदन भरना होगा।

5– किसी भी छात्र द्वारा गत वर्ष में छात्रवृत्ति आनलाइन आवेदन किया गया हो किन्तु उसे किन्ही कारणों से छात्रवृत्ति प्राप्त हुई हो अथवा नही तो उसे नवीनीकरण ही करना होगा।

6– सभी संस्थान अपने यहां अध्ययनरत छात्र का आवेदन पत्र जमा करके छात्र को पावती देगें तथा उनके आवेदन पत्र छात्र के मूल निवास से सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को सभी अभिलेखों सहित हार्ड कापी के रूप में तथा अपने पासवर्ड के जरिये आनलाइन निर्धारित तिथि तक अग्रसारित करेगें।

7– शैक्षणिक संस्था को प्रदेश की छात्रवृत्ति नियामक समिति द्वारा निर्धारित फीस के अनुसार छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपना फीस विवरण अंकित करना होगा।

8– वर्ष 2017–18 से सभी छात्रों को अपने आवेदन पत्र में आधार नम्बर (बैंक खाते में अंकन के साथ) तथा नवीनीकरण के छात्रों को आधार नम्बर के साथ–साथ एनरोलमेंट भरना अनिवार्य होगा। सभी संस्थान अपने यहां अध्ययनरत छात्रों का आधार नम्बर अनिवार्य रूप से भरवाना सुनिश्चित करेगें।

9– प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को निर्धारित तिथि 21 अगस्त 2017 तक समस्त अभिलेखों के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध आवेदन पत्र में मांगी गयी सूचनाओं को निदेशक, समाज कल्याण को प्रेषित करना होगाएवं छात्रवृत्ति वेबसाइट पर निर्धारित लागिन से स्वयं आनलाइन आवेदन कर मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होना होगा। प्रदेश के बाहर स्थित केवल शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने के लिये लागिन आई0डी0 एवं पासवर्ड उनके द्वारा प्रेषित आवेदन पत्र में अंकित ई–मेल पर दिया जायेगा। संस्थायें आवेदन पत्र भरते समय सही और कार्यरत ईमेल एड्रेस ही दें। लागिंन एवं पासवर्ड प्राप्ति हेतु उपनिदेशक/नोडल अधिकारी दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति योजना (प्रदेश के बाहर) समाज कल्याण निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को निर्धारित प्रकिया अनुसार आवेदन करना होगा। लागिन एवं पासवर्ड मिलते ही प्रत्येक शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थान को 30 अगस्त 2017 तक मास्टर डाटा पूर्ण करते हुये डिजिटल हस्ताक्षर से सत्यापित करना अनिवार्य होगा। वाह्य प्रदेश स्थित संस्थान मास्टर डाटा में नाम सम्मिलित करने हेतु किसी भी समस्या के लिये दूरभाष संख्या 0522–2204177, 0522–2209270 (प्रातः 10 बजे से मध्यान्ह 12 बजे तक) पर कार्यालय अवधि में सम्पर्क करें।

10– मास्टर डाटा में सम्मिलित संस्थान के अनुसूचित जाति/जनजाति एवं सामान्य वर्ग के छात्र ही आवेदन कर सकेंगे। प्राप्त आवेदन को संस्था द्वारा आनलाइन प्राप्त करके, वेरीफाई करके अग्रसारित करना अनिवार्य होगा तथा इसी के साथ छात्र के गृह जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी को समस्त अभिलेखों सहित हार्डकापी भी संस्थान के सत्यापन के उपरान्त भेजा जाना अनिवार्य होगा। उक्त कार्य पूर्ण न होने की दशा में छात्र का आवेदन आनलाइन पूर्ण नहीं माना जायेगा।

11– दशमोत्तर छात्रवृत्ति की नियमावली, विज्ञापन, वाह्य प्रदेश के शासकीय एवं शासकीय सहायता प्राप्त संस्थाओं हेतु हिन्दी एवं अंग्रेजी में आवेदन पत्र (यह आवेदन पत्र आनलाइन आवेदन करने के उपरान्त समस्त संलग्नकों सहित ही भेजें) पाठ्यकम एवं अन्य विवरण के लिये वेबसाइट ***http://scholarship.up.nic.in*** में जाकर सहायता/जानकारी प्राप्त कर लें तथा उसी के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

(सत्यानन्द त्रिपाठी)
कनिष्ठ सहायक (मु०)

सिद्धार्थ मिश्र
... अधिकारी नोडल

पी० के० त्रिपाठी
उप निदेशक
निदेशालय समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

निदेशक
समाज कल्याण
उत्तर प्रदेश